न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 34/2018

अनवान

1. सन्तरो पत्नी सतवीर जाति जाट साकिन सागडा तहसील भादरा।
2. कलावती पत्नी मांगेराम जाति जाट साकिन सागडा तहसील भादरा।
3. सावित्रि पत्नी वीरसिंह जाति जाट साकिन सागडा तहसील भादरा।
4. मैनादेवी पत्नी भूपसिंह जाति जाट साकिन सागडा तहसील भादरा।
5. विमलादेवी पत्नी कपूरसिंह जाति जाट साकिन सागडा तहसील भादरा जिला हनु0।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. सरबती पत्नी स्व0 महेन्द्र जाति जाट साकिन अमरपुरा तहसील भादरा।
2. किशोरीलाल पुत्र महेन्द्र जाति जाट साकिन अमरपुरा तहसील भादरा।
3. राजकुमार पुत्र महेन्द्र जाति जाट साकिन अमरपुरा तहसील भादरा।
4. राजेन्द्र पुत्र अमीचंद जाति जाट साकिन अमरपुरा तहसील भादरा जिला हनु0।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता अन्तर्गत धारा 251ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : प्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक : 27.06.2018**

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की रोही मोजा अमरपुरा बारानी के खाता सं0 52/57 के मु0न0 62 किला न0 3,4,7 ता 13 कुल 2.277 है0 संयुक्त खाते की भूमि है जिसमें अप्रार्थी राजेन्द्र का 0.076 है0 खातेदारी दर्ज है। उक्त खातेदारी भूमि अप्रार्थी राजेन्द्र से खरीद शुदा भूमि है।

प्रार्थीगण की खातेदारी से आवागमन के लिए मु0न0 62 के कि0न0 25 में दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम स्वीकृत शुदा रास्ता है जिससे होकर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की खातेदारी मु0न0 62 के कि0न0 21 ता 24 व 20–21 तथा मु0न0 62 के कि0न0 11 में प्रवेश करते है। परन्तु अप्रार्थीगण की खातेदारी में उक्त रास्ता स्वीकृत शुदा नहीं है।

प्रार्थीगण ने जब अप्रार्थी राजेन्द्र से उक्त भूमि खरीद की थी उसी समय शेष अप्रार्थीगण से उनकी खातेदारी भूमि में से उक्त रास्ता स्वीकृत कराने की सहमति हो

ई थी तथा कुल 6 बीस्वा में रास्ता स्वीकृत करावाया था एवं अप्रार्थी सं0 4 के नाम 0.076 है0 भूमि अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के खाते मे दर्ज करवाने की सहमति हो गई थी। परन्तु अप्रार्थीगण की खातेदारी मे जाने वाला उक्त रास्ता रिकार्ड में दर्ज नहीं हुआ था तथा ना ही अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 को अप्रार्थी राजेन्द्र के द्वारा दी गई भूमि उनके खाते में दर्ज हुई है। अतः रोही मोजा चक अमरपुरा बारानी के मु0न0 62 के कि0न0 21ता24 पूर्व से पश्चिम तक कि0न0 20–21 में दक्षिण से उतर रास्ता स्वीकृत कर अप्रार्थी सं0 4 की 0.076 है0 भूमि अप्रार्थी 1ता3 के खाते में दर्ज करवाए जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण 1 ता 4 उपस्थिति राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल किया गया।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई तथा राजीनामा स्वीकार किया जाकर मुताबिक राजीनाम प्रार्थना पत्र शर्त 8(2) कोलो0एक्ट एवं सपठित धारा 251ए का स्वीकार किया जाता है तथा रोही मोजा चक अमरपुरा बारानी के मु0न0 62 के कि0न0 21ता24 में दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम तक कि0न0 20–21 में पश्चिम की तरफ दक्षिण से उतर 1–1 बिस्वा यानि 0.076 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ता की एवज में आई भूमि के बदले अप्रार्थी सं0 4 राजेन्द्र के नाम 0.076 है0 भूमि अपास्त कर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 3 के खाते में दर्ज की जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **27.06.2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़